न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–अशोकनगर

निगरानी 2181-II-15

1– मुल्लोबाई पत्नी श्री सूरत सिंह
2-- गुलाब बाई बेवा पुरनिया मुलुआ
3-- जींवन सिंह पुत्र श्री शिवराज सिंह
4– सनमान सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह
निवासीगण – ग्राम कटाखेडा, तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

1– कन्हैयाजू पुत्र श्री ऊधम सिंह
2– सीताराम पुत्र श्री लालाराम
3– चन्द्रभांन पुत्र श्री लालाराम
4– महेन्द्र सिंह पुत्र श्री कन्हैयाजू
5– भगवान सिंह पुत्र श्री ऊधम सिंह
निवासीगण – ग्राम कटाखेडा, तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार परगना चंदेरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 42/अ–12 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 12.06.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, आवेदकगण द्वारा ग्राम कटाखेडा में स्थितं भूमि सर्वे क्रमांक 8/1 रकवा 1.610, सर्वे क्रमांक 15/1, 15/2 एवं अन्य सर्वे क्रमांक की भूमियों की सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रकरण क्रमांक क्यू/रा.नि./014 द्वारा दिनांक 20.10.2014 को राजस्व निरीक्षक द्वारा ग्राम पटवारी एवं उपस्थित व्यक्तियों के बीच सम्पादित किया गया था।
2. यहकि, भूमि सर्वे क्रमांक 8/2, 9/1, 18/1, 16/2, 18/2, 18/3 का सीमांकन अनावेदकगण द्वारा प्रकरण क्रमांक 42/अ–12/14–15 से पारित आदेश दिनांक 12.06.2015 द्वारा सीमांकन पटवारी द्वारा करवाया गया। इस सीमांकन में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग/दो/2181/2015/ जिला-अशोनगर

मुल्लोबाई विरूद्ध कन्हैयाजू

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२३-०३-18	प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित । 2- यह निगरानी नायब तहसीलदार चन्देरी जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 42/अ-12/2014-15 में पारित पटवारी द्वारा किए गये सीमांकन कार्यवाही दिनांक 12.06.15 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में मुख्य बाद बिन्दु सीमांकन से संबंधित है(सीमांकन हेतु प्रस्तावित भूमि को बाद ग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जावेगा)। 3- प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बताया गया कि सीमांकन कार्यवाही करने से पहले सरहदी कृषकों को सूचना पत्र जारी नहीं किए गये और न ही आवेदक को ही कोई सूचना पत्र जारी किए गये। और न ही सीमांकन कार्यवाही की जानकारी ही दी गयी। सीमांकन की कार्यवाही बाला बाला की गयी है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि सीमांकन विहित अधिकारी द्वारा न किया जाकर पटवारी द्वारा किया गया है। संहिता में सीमांकन हेतु राजस्व अधिकारी को करने का अधिकार है पटवारी को सीमांकन	

कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है जिन्हें यह दुहराया न जाकर विचार में लिया जा रहा है निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया कि किया गया सीमांकन विधिक है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4- उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रथमत: तो जो सीमांकन कार्यवाही दिनांक 12.06.15 चुनौती युक्त है वह सक्षम अधिकारी द्वारा न की जाकर पटवारी द्वारा की गयी है इस प्रकार यह कार्यवाही अधिकारिता वाह्य है पटवारी को सीमांकन करने का अधिकार ही नहीं है। पटवारी द्वारा किए गये सीमांकप की पुष्टि नायब तहसीलदार के सीमांकन स्वीकृति आदेश दिनांक 19.06.15 से भी होती है जिसमें नायब तहसीलदार ने स्पष्ट अंकित किया है कि पटवारी द्वारा सीमांकन रिपोर्ट दी गयी। प्रकरण में मुख्य रूप से विधिक त्रुटि यह है कि आक्षेपित सीमांकन कार्यवाही पटवारी द्वारा संपन्न की गयी है जिसकी पुष्टि नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 19.06.15 को की गयी है। सीमांकन के संबंध में संहिता की धारा 129(2) अ.(5) में- धारा 129 के अधीन शक्तियां प्रदत्त- में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि "इस धारा के अधीन पटवारी कोई कार्यवाही नहीं कर

प्रकरण क्रमांक निग/दो/2181/2015/ जिला-अशोनगर

मुल्लोबाई विरूद्ध कन्हैयाजू

सकता"। इसी प्रकार इसी धारा में राजपत्र दिनांक 23.12.10 को प्रकाशित अधिसूचना क्र.एफ-2-23-2010 दिनांक 23 दिसम्बर 2010 के अनुसार धारा 129 के अधीन तहसीलदार की शक्तियां समस्त राजस्व निरीक्षको को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर प्रदान की गयी हैं। इस प्रकार संहिता में वर्णित एवं प्राधानित नियमों से स्पष्ट है कि पटवारी को सीमांकन करने का अधिकार नहीं है सिर्फ राजस्व निरीक्षक को सीमांकन का अधिकार है। उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत जाकर पटवारी द्वारा किए गये सीमांकन को नायब तहसीलदार द्वारा अंतिम रूप प्रदान किया गया है जो कानून का घोर उल्लंधन है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आक्षेपित सीमांकन कार्यवाही दिनांक 12;06;15 किसी भी स्थिति में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5- परिणामस्वरूप सीमांकन की आक्षेपित कार्यवाही निरस्त की जाती है। प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे प्रकरण में संहिता में निहित प्रावधानों के तहत समस्त हितवद्ध सरहदी कृषकों को सूचना पत्र जारी कर उनकी उपस्थिति में विधिवत सीमांकन की कार्यवाही तीन माह में पूर्ण करें। पक्षकारों को भी आदेशित किया जाता है कि वे उपरोक्त दर्शित अवधि में तहसीदार के समक्ष उपस्थित होकर सीमांकन की कार्यवाही में सक्षम अधिकारी का सहयोग करें। तहसीलदार को यह भी निर्देश दिए जाते है कि वे नायब तहसीलदार एवं पटवारी को अधिकारिता वाहय कार्यवाही करने के लिए उक्त दोनों दोषी नायब तहसीलदार एवं पटवारी को नामांकित कर उनका

प्रकरण क्रमांक निग/दो/2181/2015/ जिला-अशोनगर

मुल्लोबाई विरूद्ध कन्हैयाजू

स्पष्टीकरण प्राप्त करें तथा भविष्य के लिए सचेत करें कि वे भविष्य में इस प्रकार की विधि विरूद्ध कार्यवाही न करें । यदि आवश्यक समझें तो नायब तहसीलदार के विरूद्ध कार्यवाही के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत करावें। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापस हो।

(डॉ0एम0के0अग्रवाल)

सदस्य